



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83]  
No. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 1986/फाल्गुन 26, 1907  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 1986/PHALGUNA 26. 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1986

का धा. 96(अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक श्रौषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अयुक्त दुर्व्यापार की प्रभावी रूप से रोकथाम करने और उसका मुकाबला करने के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक और समीचीन समझती है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, स्वापक श्रौषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नामक प्राधिकरण गठित करती है जो केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा इस आदेश के उपावहों के अधीन रहते हुए, उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निम्नलिखित विषयों की बाबत उपाय करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(1) मूल अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), श्रौषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

(1940 का 23) तथा मूल अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के सबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय।

(2) निम्नलिखित के अधीन अयुक्त दुर्व्यापार के विरुद्ध उपायों की बाबत बाध्यताओं का कार्यान्वयन :—

(क) स्वापक श्रौषधि पर एकल कन्वेंशन, 1961,

(ख) पूर्वोक्त कन्वेंशन का सशोधन करने वाला 1972 का प्रोटोकाल ;

(ग) मनः प्रभावी पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 ; और

(घ) स्वापक श्रौषधियों का मन प्रभावी पदार्थों से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन का सशोधन करने वाला कोई अन्य अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रोटोकाल या अन्य लिखित जिसका भारत द्वारा इसके पश्चात् अनुसमर्थन किया जाए या जो अंगीकार किया जाए।

(3) स्वापक श्रौषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के अयुक्त दुर्व्यापार की रोकथाम और उसका दमन करने के लिए समन्वय तथा विश्वव्यापी कार्रवाई को सुकर बनाने की दृष्टि से विदेशों और संबंधित अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के संबंधित प्राधिकारियों की सहायता।

(4) अधिषि के दुरुपयोग से संबन्धित विषयों की बाबत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय तथा अन्य संबन्धित मंत्रालयों, विभागों या संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय ।

2. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में होगा और उसके पांच जोन कार्यालय, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और वाराणसी में होंगे।

3. ब्यूरो का प्रबन्धन महानिदेशक होगा जिसका सहायता मुख्यालय और जोन कार्यालयों में ऐसे अधिकारी करेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नियुक्त करे।

[सं 2/86-फा. सं. 664/18/86-म.]

एम. एम. सेठी, अपर सचिव,

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### ORDER

New Delhi, the 17th March, 1986

S.O. 96(E).—Whereas the Central Government considers it necessary and expedient to constitute an authority for the purpose of effectively preventing and combating abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and illicit traffic therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the "Narcotics Control Bureau", which shall, subject to the supervision and control of the Central Government and the provisions of this Order, exercise the powers and functions of the Central Government for taking measures with respect to the following matters referred to in sub-section (2) of the said section, namely :—

(1) Co-ordination of actions by various officers, State Governments and other authorities under the principal Act, the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Drugs and

Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and any other law for the time being in force in connection with the enforcement of the provisions of the principal Act.

(2) Implementation of the obligations in respect of counter-measures against illicit traffic, under :—

(a) the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 ;

(b) the Protocol of 1972 amending the aforesaid Convention ;

(c) the Convention on Psychotropic Substances, 1971 ; and

(d) any other international convention or protocol or other instrument amending an international convention relating to narcotic drugs or psychotropic substances which may be ratified or acceded to by India hereafter.

(3) Assistance to the concerned authorities in foreign countries and concerned international organisations with a view to facilitating co-ordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.

(4) Co-ordination of actions taken by the Ministry of Health and Family Welfare, the Ministry of Welfare and other concerned Ministries, Departments or Organisations in respect of matters relating to drug abuse.

2. The Narcotics Control Bureau shall have its headquarters at New Delhi with five zonal offices at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras and Varanasi.

3. The Bureau shall be headed by a Director General who will be assisted at the Headquarters and in the zonal offices by such officers as may be appointed by the Central Government from time to time.

[No. 2/86-F. N. 664/18/86-OPIUM]

M. M. SETHI, Add. Secy.